ईमेल–cfoalm.ukfs@gmail.com

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोड़ा।

पत्रांकः–सीएफओ/एन/एएलएम/2024–25(185) दिनांकः जुलाई 07 ,2025

सेवा में,

अटल उत्कृष्ट
राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज
चौखुटिया, जनपद – अल्मोड़ा।

विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–91255394, दिनांकः 02.07.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेद G.G.I.C.Choukhutiya, जनपद–अल्मोड़ा का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन रानीखेत से कराया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 06.07.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा 06 अदद, सीओटू टाईप 4.5 किग्रा क्षमता 01 अदद, 5 हजार लीटर क्षमता का ओवर हेड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित है जिस पर 1.5 एच पी का पम्प व 2 होज रील स्थापित किया गया है अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा की संस्तुति के आधार पर G.I.I.C.Choukhutiya, जनपद अल्मोड़ा का (कुल 21 कमरे एवं 1 हॉल) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 07 जुलाई 2025 से 06 जुलाई 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जायेः–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दषा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रो की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner